सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 9, शनिवार, शाके 1942- अक्टूबर 31, 2020 *Kartika 9, Saturday , Saka 1942- October 31, 2020*	

भाग 3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से
पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2020

संख्या एफ. 13(34)विशा/विस/2020:-राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया,सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक **सं.34**

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2020 के राजस्थान अधिनियम सं. 21 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 21) की धारा 4 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ङ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घघ) लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में ऐसे व्यक्ति के आवागमन को प्रतिषिद्ध करना जिसका अपना मुंह और नाक फेस मास्क या फेस कवर से समुचित रूप से ढका हुआ नहीं है;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कोविड-19 एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसका प्रकोप राजस्थान राज्य सहित सम्पूर्ण देश में तेजी से फैल रहा है। महामारी को विनियमित करने और उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम की धारा 4 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार ऐसे अस्थायी विनियम या आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका पालन महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता द्वारा किया जाना है।

समूचे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि मास्क का उपयोग कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है। राज्य सरकार का यह भी विचार है कि लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को प्रतिषिद्ध किये जाने का विनिश्चय किया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है।

तदनुसार, इस प्रभाव का एक नया खण्ड अन्त:स्थापित करके राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.34 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Epidemic Diseases (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 21 of 2020.- In sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), after the existing clause (d) and before the existing clause (e), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(dd) to prohibit the movement of any person in public place, public transport, private transport, work place or at any social, political, general function or gathering without properly covering his mouth and nose with face mask or face cover;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

COVID-19 an Infectious disease is so rapidly spreading throughout the country including the State of Rajasthan since its outbreak. In order to regulate and prevent epidemic diseases, the State Government enacted the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020. Section 4 of the Act provides that State Government may specify such temporary regulations or orders to be observed by the public to prevent the spread of epidemic disease.

Health experts all over the world are of the opinion that use of mask can help to control the spread of Covid-19 considerably and save the lives of millions. The State Government is also of the view that wearing mask should be made mandatory in public place, public transport, private transport, work place or at any social, political, general function or gathering and decided to prohibit movement of persons without wearing mask at such places.

Accordingly, section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 is proposed to be amended by inserting a new clause to this effect.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

to amend the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.